महत्वपूर्ण

सं.259/आर/नौ-7-11-147रिट/2010

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 23 जून, 2011

विषयः उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह के विनियमन और नियंत्रण के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम 1975 के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली 2005 प्रभावी है। नियमावली में पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के संबंध में सूची तैयार करने तथा सूची पर आपत्तियॉ आमंत्रित करने, आपत्तियों का निस्तारण करने एवं उक्त स्थानों को संरक्षित करने यथा अतिक्रमण से मुक्त करने, पशुओं के प्रवेश को रोकने तथा उक्त स्थानों के उपयोग करने की अनुमति देने हेतु नगर निगम क्षेत्र में संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र होने की दशा में जिलाधिकारी को विहित प्राधिकारी बनाया गया है।

2. उक्त नियमावली के नियम 4(1) में व्यवस्था है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के संबंध में सूची तैयार की जायेगी। सूची में पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुली जगहों की वार्डवार क्रम संख्या, नाम, अवस्थिति, आकार/क्षेत्रफल तथा अन्य सुसंगत सूचनायें होंगी। विहित प्राधिकारी जो नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट है, द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची अनुमोदित की जायेगी। उक्त सूची रेखांकन मानचित्र, अभिलेख या भू-अभिलेख विहित शुल्क का संदाय करने पर स्थानीय निकाय के अभिलेख कक्ष में निरीक्षण हेतु जनता के लिये उपलब्ध रहेंगे।

3. नियमावली के नियम 8(2) में यह प्राविधान है कि ऐसे पार्क, खेल के मैदान अथवा खुली जगहें जो विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषदों, आवास समितियों, निर्माताओं और ऐसे अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित किये गये हों, किन्तु स्थानीय निकायों को न सौंपे गये हों,

Shiv Sirat. G.O.

को उनके द्वारा स्वच्छ समुचित और संबंधित स्थानीय निकाय के समाधान पर्यन्त अनुरक्षित रखा जायेगा।

4. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्तानुसार सार्वजनिक पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूचियाँ तैयार नहीं की गयी हैं और जनता को आवश्यकता पड़ने पर उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यह भी देखा गया है कि बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये सार्वजनिक पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का उपयोग ऐसे प्रयोजन जिसके लिये इसे बनाया गया है, से भिन्न प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है, जो सामान्यतः उक्त स्थानों पर अनुमन्य नहीं है।

5. मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका 1495(पी.आइ.एल.)/2008 श्री विवेक कुमार मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 22.10.2010 को यह आदेश पारित किया गया है कि:

"We have heard learned counsel for the parties. The petitioner has filed this petition contending that the playground is being used for the purpose other than the playground.

We have examined the provisions of the U.P. Parks, Playgrounds and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975 as also the U.P. Parks, Playgrounds and Open Spaces (Regulation and Control) Rules, 2005. In terms if Section 3 of the Act, the authority concerned has to prepare a list, with plans and maps if all parks, playgrounds and open spaces. 'Authority' has not been defined to mean an officer or a body corporate appointed but under the Rules, 2005 'prescribed authority' has been defined to mean an officer or a body corporate appointed by the State Government and other officers set out therein.

Considering the controversy, the State Government through its Principal Secretary, Nagar Vikas to file an affidavit explaining as to whether there has been compliance of Section 3 of the Act by the authorities and if not, to take steps directing the concerned authority to prepare the list as required according to law "

6. इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:

(क) तीन माह का विशेष अभियान चलाकर नगर निगम क्षेत्र में संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा एवं नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के संबंध में सूची तैयार करायी जाये जिसमें पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुली जगहों की वार्डवार क्रम संख्या, नाम, अवस्थिति, आकार/क्षेत्रफल तथा अन्य सुसंगत सूचनाओं का समावेश भी किया जाय। उक्त सूची रेखांकन मानचित्र अभिलेख या भू-अभिलेख विहित शुल्क का संदाय करने पर स्थानीय निकाय के अभिलेख कक्ष में निरीक्षण हेतु जनता के लिये रखी जाय।

(ख) नियम 5 के अधीन विहित प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची में विनिर्दिष्ट किसी पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का उपयोग विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे प्रयोजन, जिसके लिये इसे बनाया गया है, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये न किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
3. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
8. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

23.6.11

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

Surat. G.O.